कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F-37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/ **दिनांकः–**

–: कार्यवाही विवरण :–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 30/2024 वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर संलग्न है। बैठक के दौरान जोन–1, 2, 3 व 4 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये।

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–1, 2, 3 व 4 की 29/2024 वीं बैठक दिनांक 21.09.2024 के बैठक कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन–01

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 02870) (बैठक दिनांक 27.09.2024) :– **जोन–01**

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	282/01.05.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री राजूल लढ्ढा पुत्र श्री बालकृष्ण लढ्ढा
3.	राजस्व ग्राम	नान्दड़ा कलां
4.	खसरा संख्या	295/7
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	2.00.10 बीघा (3277.95 व.मी.)
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग	आवासीय
	ii. आवेदित भू–उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	अनुज्ञेय है।
	iii. जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं	उक्त क्षेत्र का जोनल डवलपमेन्ट प्लान बना हुआ नहीं हैं।
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय एकल
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है।
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 34 पर संलग्न है।
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड–यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 46 पर एवं राजकाज पर PUC-1/C संलग्न है।
11.	प्रस्तावित ले–आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनिकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है।
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42–45 पर संलग्न है।
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 28 पर संलग्न है।
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 27 पर संलग्न है।
15.	तकनिकीविद्/आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र	मै. एस.जे. इंजीनियर्स

एजेण्डा संख्या 11 (राजकाज सं. 02378) (बैठक दिनांक 27.09.2024) :– **जोन–01**

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="4">आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक / दिनांक</td><td colspan="3">267 / 08.02.2024</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="4">आवेदक का नाम</td><td colspan="3">श्री छगन कंवर पत्नी श्री लादूसिंह शेखावत, श्री ऋत शेखावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती शोभाग कंवर पत्नी श्री दशरथसिंह</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">राजस्व ग्राम</td><td colspan="3">श्रीयादे गांव</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="4">खसरा संख्या</td><td colspan="3">95 / 2, 95 / 3 व 95 / 4</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="4">आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)</td><td colspan="3">4856.22 व.मी.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td colspan="4">i. मास्टर / जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग</td><td colspan="3">आवासीय</td></tr>
<tr><td colspan="4">ii. आवेदित भू–उपयोग मास्टर / जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं</td><td colspan="3">अनुज्ञेय है</td></tr>
<tr><td colspan="4">iii. जोनल डवलपमेण्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित हैं अथवा नहीं</td><td colspan="3">जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मी. सड़क पर स्थित है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="4">प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग</td><td colspan="3">आवासीय योजना</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="4">आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="4">आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">सहायक नगर नियोजक / प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड–यूज प्लान की प्रमाणित प्रति</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 53 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="4">प्रस्तावित ले–आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनिकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 54 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">जोन चैकलिस्ट की प्रति</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 49–52 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="4">राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 25–26 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="4">प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट</td><td colspan="3">पत्रावली के पृष्ठ संख्या 24 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="4">तकनिकीविद् / आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र</td><td colspan="3">मैसर्स कुमावत सर्वे एण्ड प्लानिंग सर्विस</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16.</td><td colspan="4" rowspan="2">ले–आऊट प्लान का प्रकार</td><td colspan="3">आवासीय योजना</td></tr>
<tr><td>2 हैक्टेयर से कम</td><td>2–10 हैक्टेयर</td><td>10 हैक्टेयर से अधिक</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="4">सहायक नगर नियोजक / प्रारूपकार द्वारा किए गए क्षेत्र विश्लेषण / मानदण्ड आदि का विवरण</td><td colspan="3">पत्रावली के पैरा संख्या 07 एवं राजकाज पर पैरा 16 व 30 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="7">प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण</td></tr>
<tr><td></td><td>क्र. सं.</td><td>विश्लेषण बिन्दू</td><td>नियमानुसार मानदण्ड</td><td>ले–आऊट प्लान में प्रदर्शित</td><td colspan="3">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td></td><td>A.</td><td>योजना ले–आऊट प्लान में दर्शित कुल क्षेत्रफल</td><td>निर्धारित नहीं है।</td><td>4793.29 वर्गमीटर</td><td colspan="3">अनुज्ञेय है</td></tr>
<tr><td></td><td>B.</td><td>जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल (जोन चैक लिस्ट अनुसार)</td><td>4856.22 वर्गमीटर</td><td>4793.29 वर्गमीटर</td><td colspan="3">अनुज्ञेय है</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>C.</td><td>आवासीय क्षेत्रफल</td><td>अधिकतम 60 प्रतिशत</td><td>53.29 प्रतिशत</td><td>अनुज्ञेय है</td></tr>
<tr><td></td><td>D.</td><td>ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी.एच. क्षेत्र</td><td>2 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं हेतु आवश्यक</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td></td><td>E.</td><td>वाणिज्यिक क्षेत्र / इन्फॉर्मल क्षेत्र</td><td>2 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं हेतु आवश्यक</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td></td><td>F.</td><td>सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.)</td><td>M.T./S.W.M. का प्रावधान आवश्यक</td><td>01.67 प्रतिशत</td><td>अनुज्ञेय है</td></tr>
<tr><td></td><td>G.</td><td>पार्क / खुला क्षेत्र / वृक्षारोपण</td><td>न्यूनतम 5 प्रतिशत आवश्यक</td><td>05.14 प्रतिशत</td><td>अनुज्ञेय है</td></tr>
<tr><td></td><td>I.</td><td>पहुंच मार्ग की चौड़ाई</td><td>राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होना आवश्यक है।</td><td>60 फीट</td><td>अनुज्ञेय है।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="3">ले–आऊट प्लान अनुमोदन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर टिप्पणी</td><td colspan="2">जोन चैक लिस्ट अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td colspan="3">यदि पूर्व में उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान समिति में रखा गया है तो बैठक दिनांक एवं विवरण अंकित करें साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।</td><td colspan="2">नहीं</td></tr>
<tr><td>21.</td><td colspan="5">प्रकरण के तथ्य :
1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवासीय भू–उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार 12 मीटर व अधिक सडक मार्गाधिकार पर 2 हैक्ट. क्षेत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है। जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।
2. जोन चेकलिस्ट अनुसार "जोन तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर से रास्ते हेतु किस्म परिवर्तन आदेश दिनांक 21.10.2022 हो रखा है, जिसमें 50 फीट बताया गया है। आदेश की प्रति पृष्ठ संख्या 41 से 48 पर संलग्न है।
पूर्व में इसी रास्ते पर आवेदित भूमि के समीप खसरा संख्या 95 (नवीन खसरा संख्या 95/6) में 2 अलग–अलग ले–आउट प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित हैं, जिनकी प्रतियां पृष्ठ संख्या 38 व 39 पर सलंग्न है।"
3. राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका अनुसार 40 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा हैं, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हैं।
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर चार दिवारी निर्मित हैं।</td></tr>
</table>

	5. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 07.02.2024 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ जारी किया गया है (पृष्ठ सं 27 पर सलंग्न है।) जो यह दर्शाता है कि आवेदित भूमि को न्यूनतम पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। (प्रति पृष्ठ संख्या 29 पर संलग्न)	
22.	प्रकरण में अनुशंषा की जाती है। हाँ/ना ?	हां
23.	यदि बिन्दु संख्या 22 में ना है, तो उक्त का विवरण	—
24.	**निर्णय :–** **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 18 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 09 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 95/2 ,95/3 ,95/4 OF VILLAGE SHRIYADE GAON AT JODHPUR

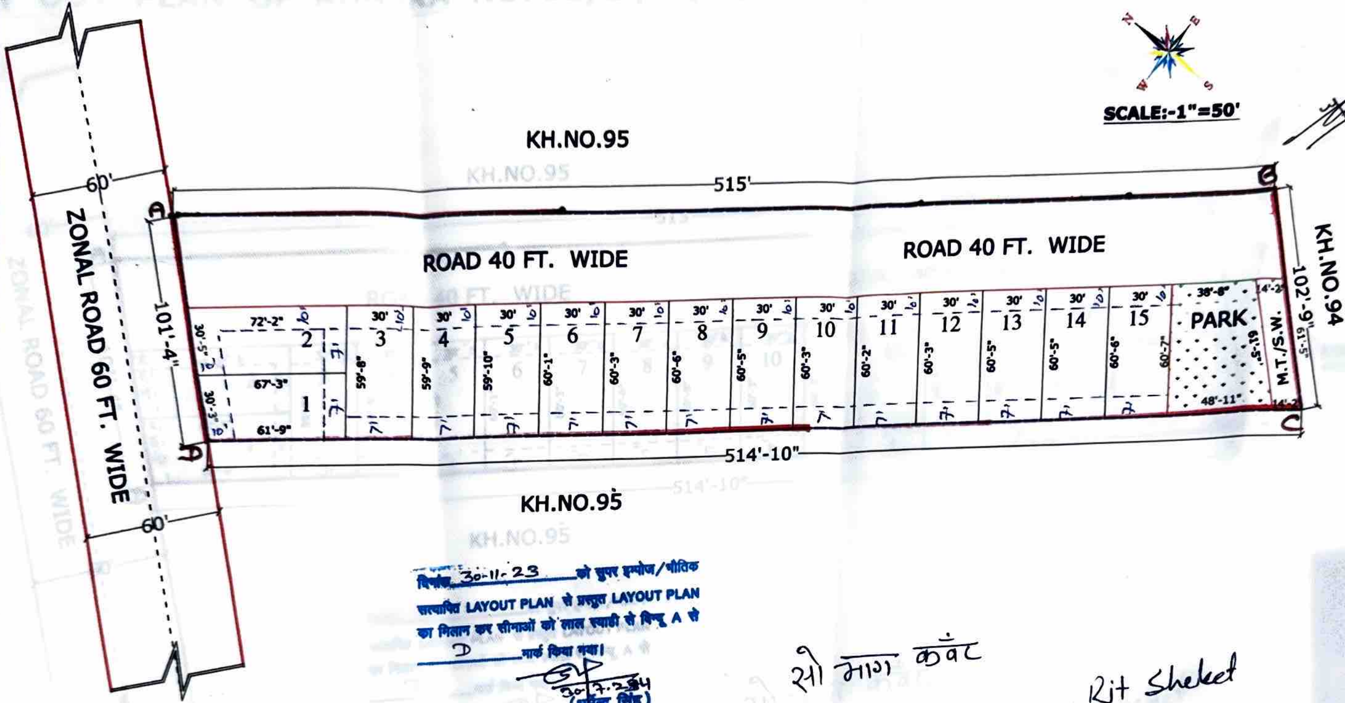

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yds.	AREA OF %
PLOT AREA	3054.80	53.29 %
PARK AREA	294.76	05.14 %
M.T / S.W.D. AREA	95.56	01.67 %
ROAD AREA	2287.60	39.90 %
TOTAL SCHEME AREA	5732.72	100.00 %
Area in Bigha. = 03 BIGHA		

KEY PLAN

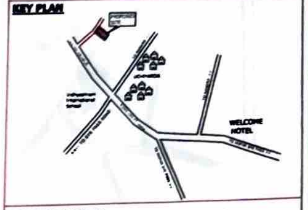

KHASRA MAP
NOT TO SCALE

दिनांक 30-11-23 को सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दु A से D मार्क किया गया।
(धर्मेन्द्र सिंह)
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सो भाग कंवर

Rit Sheket

जोन-01

एजेण्डा संख्या 11 (राजकाज सं. 02378) (बैठक दिनांक 27.09.2024) :-

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	267 / 08.02.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री छगन कंवर पत्नी श्री लादूसिंह शेखावत, श्री ऋत शेखावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती शोभाग कंवर पत्नी श्री दशरथसिंह
3.	राजस्व ग्राम	श्रीयादे गांव
4.	खसरा संख्या	95/2, 95/3 व 95/4
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	4856.22 व.मी.
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 18 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 09 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व उक्त के कम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 ह0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

25/10/24
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

25/X/24
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

RTI छगन कंवर

Kumawat Survey & Planning Services
18, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJNAGAR MITRA 2021 (861) 670

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

क्रमांक / एफ–49 / 90–क / जोन–01 / 2024 / **दिनांक :– Signed Date**

प्रेषित :–

1. **श्रीमती शोभा कंवर पत्नी श्री दशरथसिंह राठौड़,**
2. **श्रीमती छगन कंवर पत्नि श्री लादूसिंह शेखावत,**
3. **श्री रीत शेखावत पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह,**
   जरिये रजिस्टर्ड आम–मुख्त्यार
   श्री संपतसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह एवं
   श्री हनुमान प्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह राठौड़।
   निवासी – राठौड़ों का बास, ग्राम देवलिया, जोधपुर

विषय :– रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 95/2, 95/3, व 95/4 कुल रकबा 03 बीघा, ग्राम श्रीयादे गांव का 90–क का आदेश दिनांक 07/02/2024 को जारी किया गया, जिसका ले–आउट प्लान प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27/09/2024 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी मे आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 01 व 02, कुल भूखण्ड 02, कुल क्षेत्रफल 544.66 वर्गगज को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन–01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid

RajKaj Ref
12061860

Digitally signed by Mukesh Bareth
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.11.27 17:02:18 IST
Reason: Approved